हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम बनाम मुलतवी पीरजादा वगैरह
दीवानी विविध प्रकरण संख्या 51/2014

दिनांक – 25.09.2025

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी 1/क/2 से 1/क/6 की ओर से अधिवक्ता देवेन्द्र कल्ला उपस्थित। 1/क/7/1 से 1/क/7/4 के विरूद्ध दिनांक 15.02.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी सख्या 2/ख व 2/ग के विरूद्ध दिनांक 03.03.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2/घ, 2/च/2 लगायत 2/छ की ओर से भी अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कल्ला उपस्थित। 2/च/1 के विरूद्ध दिनांक 03.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 3/क, 3/ख के विरूद्ध दिनांक 03.03. 2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 4/ख लगायत 4/घ तथा 4/ड़ के कायम मुकाम 4/ड़/1, 4/ड़/3, 4/ड़/4 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतराज उपस्थित। अप्रार्थी 4/च और 4/छ की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता श्री शफीक जी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1/ख, 1/ग, 1/ग/1, 1/घ, 2/क, 2/ड़, 4/क फौत हो चुके हैं। अप्रार्थी संख्या 4/ड़/2 पर रजिस्टर्ड डाक से तामील दिनांक 12.03.2020 को हो चुकी है उसकी ओर कोई उपस्थित नहीं है, उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने दर्शित किया कि पत्रावली में कुछ प्रार्थना पत्रों का निस्तारण होना रह गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जावे। पत्रावली में अप्रार्थी भंवरलाल के कायम मुकाम को संशोधित टाईटल में दर्शित किया है और उनकी ओर से पैरवी भी की जा रही है परन्तु भंवरलाल के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत आदेश 22 नियम 9 दिनांक 08.10.2015 आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 9 दिनांक 08.10.2015 तथा धारा 5 मियांद अधिनियम दिनांक 08.10.2015 उक्त तीन प्रार्थना पत्र तथा 1/क/1 पीर अब्दुल बाकी के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 दिनांक 19.11.2024 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आदेश होना शेष है तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 16.05.2023 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 16.05.2023 के संबंध में आदेश किया जाना शेष है। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में आदेश 22 नियम 4, आदेश 22 नियम 9 व मियांद अधिनियम के प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश उक्त प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 15-10-25 को पेश हो। साथ ही आगामी पेशी पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी व पृथक से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर बहस सुनी जायेगी। पत्रावली दिनांक 15-10-25 को पेश हों।

(हस्ताक्षर) 25.9.25
मा.मा.(गजा०